Dy No - Pen-01-Gen-189 (2021-22)

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-24/2018 318 /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0) कार्यालय, पटना ।

पटना, दिनांक- 23-6-2021

विषयः- **वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 के आलोक में दिनांक-01.04.1981 के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 में दिनांक-01.04.1981 के पश्चात सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्रक्रिया एवं टेबल उपलब्ध है । लेकिन दिनांक-01.04.1981 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के संदर्भ में कोई निदेश उपलब्ध नहीं है ।

2. आपके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.04.1981 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(i) वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 की कंडिका-2(क) में उल्लेखित है कि किसी कर्मी की सेवानिवृत/मृत्यु की तिथि को अनुमान्य वेतन का सेवानिवृत/मृत्यु के पश्चात गठित सभी वेतन समिति के आलोक में दिनांक-01.01.2016 को पुनरीक्षित वैचारिक वेतन का निर्धारण किया जाएगा । इसके आलोक में दिनांक-01.04.1981 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के अंतिम वेतन के आधार पर सर्वप्रथम वित्त विभागीय संकल्प सं0-10770, दिनांक-30.12.1981 के आलोक में दिनांक-01.04.1981 को प्रतिस्थानी वैचारिक वेतन का निर्धारण किया जाएगा ।

(ii) तत्पश्चात दिनांक-01.04.1981 को अनुमान्य वेतन के आधार पर वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 के टेबल के आलोक में दिनांक-01.01.2016 को अनुमान्य वैचारिक वेतन की गणना की जाएगी एवं तदालोक में पेंशन का निर्धारण किया जा सकेगा ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अनुरूप दिनांक-01.04.1981 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन का पुनरीक्षण करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

23/6/2021

(अजय कुमार ठाकुर)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव ।

23-6-2021

No-Pen-01-Gen-195 (2020-21)

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-09/2018 345 /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

सुदेश कुमार लाल,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
महालेखाकार(ले0 एवं ह0) कार्यालय,
पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक-03-6-2020

विषयः- **42 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक-2185 दिनांक-27.02.2020 एवं 2512, दिनांक-06.03.2020**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि पेंशन एवं उपदान की गणना सेवावधि के आधार पर की जाती है । अतः सेवानिवृत्ति के समय कर्मी के उम्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. पेंशन रूपांतरण हेतु अगली जन्मतिथि के आधार पर जो गणना तालिका वित्त विभागीय संकल्प सं0-819, दिनांक-23.09.2009 के साथ निर्गत है, वह 20 वर्ष से 81 वर्ष की आयु को समाहित करता है । अतः रूपांतरित राशि की गणना में भी कोई कठिनाई नहीं है ।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त अगर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12978, दिनांक-19.09.2019 के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है, तो तद हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

03/06/2020

(सुदेश कुमार लाल)
सरकार के उप सचिव ।

03-6-2020

Shri CSP

2/6

190620 HC406

97 Sanjay ji 2020

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः- **COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्त्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के संबंध में ।**

COVID-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में अनेक सरकारी सेवकों द्वारा सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन किया जा रहा है एवं ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं, जहां ऐसे सरकारी सेवक COVID-19 संक्रमण से ग्रसितं हो जा रहे हैं एवं कुछ मामलों में उनकी मृत्यु हो जा रही है । सरकार के समक्ष यह विषय विचाराधीन था कि ऐसे सरकारी सेवकों के आश्रितों को संबंधित सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरांत विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

2. राज्य सरकार द्वारा COVID-19 संक्रमण के संबंधित कर्त्तव्य में कार्यरत रहे वैसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु इसी संक्रमण से हो जाती है, को निम्न सुविधा देने का विनिश्चय किया गया है-

i. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो आश्रितों को अनुकंपा का लाभ एवं पूर्व से विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे ।

ii. यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित यह वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाय तो उस परिस्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित को संबंधित सरकारी सेवक की वैचारिक वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक सरकारी सेवक को प्राप्त अंतिम शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा ।

iii. उपरोक्त कंडिका-**ii** से आच्छादित वैसे मामले जहां मृतक सरकारी सेवक सरकारी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरांत उन्हें विद्यमान नियमों के अनुरूप पारिवारिक पेंशन देय होगा ।

iv. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी सेवकों के मामले में उनकी वैचारिक वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही उपरोक्त विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा ।

.....2

Dy No Pen-01-GA-348

v. संबंधित विभागीय सचिव उपरोक्त में विहित शर्तों की पूर्त्ति के संबंध में संतुष्ट होकर उपरांकित लाभ की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्ताव संलेख-स्वरूप वित्त विभाग को भेजेंगे । समिति के निर्णयोपरांत संबंधित विभागीय सचिव द्वारा तत्संबंधी आदेश निर्गत किए जाएंगे ।

vi. उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक के मामलों के लिए लागू होंगे ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव, (व्यय) ।

ज्ञापांक--वि0(27) पे0को0-51/2020--435 पटना, दिनांक : 27.07.2020

प्रतिलिपिः : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Urgent P1

(राहुल सिंह)
सचिव, (व्यय) ।

P-01

A.G.B. 07 AUG 2020 PATNA

0808201110437

संज्ञा-01-वा० - 1239 (18-19)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यंता के संबंध में ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 1/19/03-P&PW(E) दिनांक-30.08.2004 एवं 06.09.2007 तथा 1/13/09-P&PW(E), दिनांक-11.09.2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् भी विवाह/पुनर्विवाह/विहित न्यूनतम आय की शर्त्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है।

2. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को विहित शर्त्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनेकानेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होने के कारण यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, के आश्रित अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा पुत्रियों को निम्न शर्त्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की जाती है:-

(क) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी उनके विवाह/पुनर्विवाह अथवा मासिक आधार पर विहित न्यूनतम आय की प्राप्ति आरंभ करने तक अनुमान्य होगी। परिवार पेंशन हेतु अर्हकता/अनर्हकता के संदर्भ में विहित न्यूनतम आय का तात्पर्य तत्समय लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता के जोड़ से प्राप्त राशि से है। विवाह/पुनर्विवाह/न्यूनतम मासिक आय की उपलब्धता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की अर्हकता समाप्त हो जायेगी।

(ख) परित्यक्ता पुत्रियों को उनके पति से प्राप्त गुजारा/जीवन निर्वाह की राशि की गणना उनकी आय के रूप में की जायेगी । अर्थात् जीवन निर्वाह की राशि उपर्युक्त विहित न्यूनतम आय से अधिक होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा ।

..........2

(ग) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा तभी देय होगी, जब 25 वर्ष तक की आयु के सभी संतान पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य हो जाएँ तथा कोई दिव्यांग संतान न हो ।

(घ) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी आयु क्रम में ही पारिवारिक पेंशन देय होगा तथा छोटी पुत्री तभी योग्य होगी जब बड़ी पुत्री इस हेतु अयोग्य हो जाए।

(ङ) पेंशन वितरण प्राधिकार छःमाही आधार पर आय/विवाह के संबंध में क्रमशः आय प्रमाण पत्र (प्रखंड स्तर से निर्गत) तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र पेंशनर से प्राप्त कर ही पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(च) एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

(छ) यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-69/2018 - 918 पटना, दिनांक- 25.10.2018

प्रतिलिपिः-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।
25/10/18

Perroy Pin GL dy No: 1180, (19-20)

पत्रांक- 3ए-1-मुक०-61/2019- **1537** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-28/02/2020

विषयः- **सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1370/2016 भगवान शरण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-27/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान ₹4500-7000/- स्वीकृत करने के संबंध में।**

दिनांक-01/01/1996 के प्रभाव से केन्द्रीय प्रास्थिति के अनुरूप वेतनमानों की अनुशंसा हेतु गठित फिटमेंट कमिटि द्वारा मात्र इन्टरमीडिएट योग्यता एवं कुष्ठ उन्मूलन में प्रशिक्षण के आधार पर अचिकित्सा सहायक के लिए रु० 4000-6000/- से उच्चतर वेतनमान के दावे को अस्वीकृत करते हुए इनके लिए रु० 4000-6000/- वेतनमान की अनुशंसा की गई जिसे संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

2. फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा की त्रुटियों पर विचारण हेतु गठित फिटमेंट अपीलेट कमिटि द्वारा मैट्रिक कर्मियों के लिए रु० 4000-6000/- तथा स्नातक कर्मियों के लिए रु० 5000-8000/- की स्वीकृति को दृष्टिपथ में रखते हुये इस संवर्ग की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट के आधार पर रु० 4500-7000/- के वेतनमान की अनुशंसा की गयी।

3. CWJC No. 1370/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं फिटमेंट अपीलेट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान रु० 4500-7000/- किये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त** दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान 4500-7000/- स्वीकृत किया जाता है। इस स्वीकृत वेतनमान का वेतन निर्धारण संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। इस स्वीकृति के फलस्वरूप अन्तर राशि भुगतेय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

Sd A.K.
9.3.

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-61/2019-**1537**/वि० पटना, दिनांक-**28/02/2020**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

P&A 17-6(1920)- 851 / 10/7/19

पत्र संख्या-वि0(27)पि0को0(पुन0)-22/2017 556 /वि0.

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 4-6-19

प्रेषक,

शिवशंकर मिश्र,भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
महालेखाकार(ले0 एवं ह0) का कार्यालय, पटना ।

विषयः- वित्त विभागीय संकल्प सं0-543, दिनांक-20.07.2017 के आलोक में दिनांक-01.01.1996 के पूर्व के वैसे सेवानिवृत्त कर्मी जिन्हें प्रवर कोटि का लाभ प्राप्त नहीं था, के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक पेन-17-119, दिनांक-09.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमान्य वेतनमान/वेतन का दिनांक-01.01.2016 को अनुमान्य वैचारिक वेतनमान/वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण किया जाना है। इसके टेबुल मध्यवर्ती वेतन पुनरीक्षण को आधार बनाकर ही तैयार किये गये हैं। इस कारण सेवानिवृत्ति के बाद के विकासक्रमों एवं अनुमान्य वेतनमान से असंबद्ध रहते हुए संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 की तालिकाओं का अनुसरण कर पेंशन पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । पुनः संकल्प सं0-543, दिनांक-20.07.2017 द्वारा अनुमान्य लाभ संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 द्वारा भी संरक्षित है ।

अतः अनुरोध है कि 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों का पेंशन पुनरीक्षण संकल्प सं0-755, दिनांक-20.10.2017 में विहित प्रक्रिया एवं सूत्र के आलोक में करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
4/6/2019
(शिवशंकर मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

4-6-19

1006/9H0/27

पत्रांक- 3ए-2-वे०पु०-10/2018-**8921**/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- **07/12/2018**

विषय:- **भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-8-23/2017-ई.III-ए, दिनांक-28/09/2018 के आलोक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के साथ संलग्न शिड्यूल-II में विहित प्रारम्भिक वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से पे-बैण्ड+ग्रेड-पे आधारित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई। केन्द्रीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार दिनांक-01/01/2006 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण दिनांक-01/01/2006 को यथा विद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करके किये जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि दिनांक-01/01/2006 को या उसके बाद सीधी भर्त्ती से नव नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के साथ संलग्न अनुसूची (शिड्यूल)-II में विहित प्रारंभिक वेतन के अनुसार किये जाने का प्रावधान है।

2. ऐसे कई मामले आए जिनमें दिनांक- 01/01/2006 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी का पुनरीक्षणोपरान्त दिनांक-01/01/2006 को प्राप्त वेतन दिनांक-01/01/2006 या उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारी के लिए प्रभावी शिड्यूल-II में विहित प्रारंभिक वेतन प्रक्रम से कम निर्धारित हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक-01/09/2017 को पारित आदेश के आलोक में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-8-23/2017-ई. III-ए, दिनांक-28/09/2018 के द्वारा पूर्व के प्रावधान को संशोधित करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

"केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन जिनकी ऐसे पद पर नियुक्ति दिनांक-01/01/2006 से पहले की गई थी और जिनका दिनांक-01/01/2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम-7 के तहत संशोधित

वेतन संरचना में यथा-निर्धारित वेतन, उस पद पर सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जो पदोन्नति के पश्चात् 01/01/2006 को या उसके बाद ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये थे और जिनका केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम-13 के तहत यथा निर्धारित वेतन उक्त शुरुआती वेतन से कम होता है, भी दिनांक-01/01/2006 को या उसके बाद हुई उनकी पदोन्नति की तारीख से ऐसे शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा।"

3. भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के आलोक में राज्य कर्मियों के संदर्भ में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के साथ संलग्न शिड्यूल-II के आधार पर वेतन निर्धारण का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन जिनकी ऐसे पद पर नियुक्ति दिनांक-01/01/2006 से पहले की गई थी और जिनका वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 की कंडिका-7 के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना में यथा निर्धारित वेतन, उस पद पर सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतन (शिड्यूल-II के अनुसार) से कम होता है, तो वह दिनांक-01/01/2006 से शिड्यूल-II द्वारा नियत प्रारंभिक वेतन से कम नहीं होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जो प्रोन्नति के पश्चात् दिनांक-01/01/2006 को या उसके बाद ऐसे पदों पर नियुक्त किए गये थे और जिनका वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 की कंडिका-12 के तहत यथा निर्धारित वेतन उक्त शिड्यूल-II के प्रारंभिक वेतन से कम होता है, भी दिनांक-01/01/2006 या उसके बाद हुई उनकी प्रोन्नति (कार्यात्मक प्रोन्नति के संदर्भ में योगदान की तिथि एवं अकार्यात्मक प्रोन्नति के संदर्भ में देय तिथि) की तारीख से शिड्यूल-II द्वारा नियत प्रारंभिक वेतन से कम नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-**07/12/2018**

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-10/2018 -**8921**/वि०

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-10/2018 -**8921**/वि० पटना, दिनांक-07/12/2018

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-10/2018 -**8921**/वि० पटना, दिनांक-07/12/2018

प्रतिलिपि- सभीए प्रधान सचिव/सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण, प्रशाखा-26/ सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

संख्या–3ए 3–भत्ता–01/2021–../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

व० उप-महालेखाकार (पेंशन/निधि)
पटना का कार्यालय
डायरी सं० Tr 182
दिनांक 22/11/21

संकल्प

पटना, दिनांक–.................

विषयः– दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/2020-E-II(B), दिनांक–23.04.2020 द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2020, दिनांक–01.07.2020 एवं दिनांक–01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान नही किये जाने तथा दिनांक–30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/2020-E-II(B), दिनांक–20.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महँगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक–01.07.2021 से प्रभावी है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक–01.01.2020 से 4%, दिनांक–01.07.2020 से 3% एवं दिनांक–01.01.2021 से 4% की वैचारिक वर्धित दर समाहित है। तदालोक में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महँगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतेय सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महँगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर का लाभ नही मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(5)/E-V/2020, दिनांक–07.09.2021 द्वारा जनवरी–2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक–01.01.2020 से 21%, दिनांक–01.07.2020 से 24% एवं दिनांक–01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. **अतः सम्यक् विचारोपरान्त** दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :–

सेवानिवृत्ति की अवधि	परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2020	मूल वेतन का 21%
दिनांक–01.07.2020 से 31.12.2020	मूल वेतन का 24%
दिनांक–01.01.2021 से 30.06.2021	मूल वेतन का 28%

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2021–_____/वि० पटना, दिनांकः–_____

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2021–_____/वि० पटना, दिनांकः–_____

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01/2021- ________ /वि०　　　　पटना, दिनांकः— ________

प्रतिलिपिः—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/—
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01/2021-7531 /वि०　　　　पटना, दिनांकः—09-11-2021

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।
09/11/2021

संख्या–3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08 / 2013–../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक......../2021

विषयः– **पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01 / 07 / 2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8655, दिनांक–24 / 10 / 2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01 / 07 / 2019 के प्रभाव से 17 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1/2020-E-II(B) दिनांक–20 / 07 / 2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01 / 07 / 2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01 / 07 / 2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक–01.07.2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह **सितम्बर, 2021** के पेंशन में जोड़कर

माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये रा
भुगतान माह **अक्टूबर, 2021** में एवं माह **अगस्त, 2021** के लिए आकलित बकाये का भुगतान माह **नवम्बर, 2021** में किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013--------- **/वि०** पटना, दिनांकः–------------

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–--------/वि०   पटना, दिनांकः–------------

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–--------/वि०   पटना, दिनांकः–------------

प्रतिलिपिः–सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एक्जीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक–ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक–ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–2–वे०पु०(भ०)–08/2013–5422/वि०   पटना, दिनांकः–19-08-2021

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

19/8/21

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

कृ.पृ.उ.-4